

# इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक (1 से 5) के काउंसिलिंग हेतु प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम (साफ अक्षरों में) :-
2. वेबसाईट पर प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार मेधा क्रमांक :-
3. पारा/गैर पारा/उर्दू पारा/उर्दू गैर पारा :-
4. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति) :-
5. पिता/पति का नाम :-
6. अभ्यर्थी का जन्म तिथि :-
7. गृह जिला/प्रखण्ड
8. संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की क्रमवार सूची :-

स्वअभिप्रमाणित  
फोटोग्राफ

- मैट्रिक/सेकेण्ड्री उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- इण्टरमीडिएट/सीनियर सेकेण्ड्री उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (I to V) का प्रमाण पत्र।
- शिक्षक प्रशिक्षण द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed/DPE/PTT, etc) अथवा चार वर्षीय डिग्री (B.El.Ed) आदि प्रमाण पत्र की मान्यता एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उस सत्र की मान्यता संबंधी प्रमाण प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर/NCTE के वेबसाईट से डाउनलोड कर लाना अनिवार्य है।
- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से प्राप्त दो वर्षों की अटूट सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र (पारा शिक्षकों के लिए)।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र 40% या इससे ऊपर निःशक्तता से ग्रस्त होने का (असैनिक शैल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण पत्र।
- आवासीय प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) झारखण्ड राज्य के स्थानीय आवेदक हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत।
- जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय आवेदक हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत।

मेरे द्वारा उपस्थापित सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य अभिलेख सत्य एवं सही हैं। जांच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत/त्रुटिपूर्ण/कपटपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध न्यायायिक कार्रवाई के लिए विभाग सक्षम होगा।

आवेदक का पूरा नाम -

मोबाईल नं०

आवेदक का हस्ताक्षर  
(तिथि सहित)